यालय श्री सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

जस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—92/2018

र्थी:—जोधाराम पुत्र श्री अमलखराम, जाति जाट निवासी चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रार्थीगण:—

1. भेराराम पुत्र श्री मगाराम
2. जगदीश पुत्र श्री गिरधारीराम
3. महेन्द्र पुत्र श्री गिरधारीराम
4. मनोहरराम पुत्र श्री गिरधारीराम
5. पतासी पत्नी श्री गिरधारीराम
   सभी जाति जाट निवासी चण्डालिया
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
6. श्रीमान् राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

स्थित —

प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी

अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांक:—11/12/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी धिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि— सरहद मौजा चण्डालिया वार हल्का पांचला खुर्द तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 111 ा 16 बिस्वा बारानी द्वितीय की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य क्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आई हुई है। ... भूमि र्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक, संयुक्त ... खातेदारी की भूमि है। रोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 है ... अप्रार्थीगण व अन्य तेदारान का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा है। प्रार्थी अप्रार्थीगण व अन्य

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:20:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खातेदारान के मध्य आपसी सहमती से मौके पर भौतिक रूप से बंटवाड़ा कई वर्षो पूर्व कर लिया था। उसके बाद बंटवाड़ा अनुसार आज दिन तक मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी, अप्रार्थीगण व अन्य खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से वर्षो पुराना भौतिक बंटवाड़ा हो चुका हैं। आपसी सहमति के आधार पर भौतिक विभाजन के अनुसार कणा माठ कायम किये हुए हैं। प्रार्थी का हिस्सा वादग्रस्त भूमि में मार्क "ए बी सी डी ई" के मध्य आया हुआ हैं, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाई गई भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हैं जिसे वह अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी हैं। संलग्न नजरी नक्शें को इस प्रार्थना पत्र का अंग शुमार समझा जावें। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के मौके पर पक्षकारान के मध्य वर्षो पूर्व किये गये भौतिक विभाजन अनुसार नजरी नक्शे के मुताबिक काबिज हैं। परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सम्मिलित खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में तरमीम नहीं की हुई हैं। जमाबन्दी में हिस्साकसी प्रत्येक खातेदार की दर्ज नहीं हैं। प्रार्थी को अपनी कब्जा काश्त वाली भूमि पर विकास कार्य करवाने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। सामलाती भूमि होने के कारण हमेशा अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि में दखलंदाजी करने पर आमाद रहते हैं। जिसको लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य काश्त करते समय आपस में मनमुटाव एवं लड़ाई झगड़ा करने हेतु उतारू रहते हैं। हाल ही में प्रार्थी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध पुलिस थाना ओसियां में प्रस्तुत की। जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने हेतु कई बार कहा परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने और बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने हेतु कई बार कहा परन्तु अप्रार्थीगण तरह–तरह के बहाने बताते रहे जिसे प्रार्थी हकीकत समझता रहा। हाल ही में दिनांक 15.05.2018 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा हेतु कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को बंटवाड़ा करवाने से साफ इन्कार कर दिया और [illegible] बेदखली की धमकी दी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में [illegible] एवं तरमीम करवाने हेतु कई बार कहा परन्तु अप्रार्थी तरह–तरह के बहाने बताते रहे जिसे प्रार्थी हकीकत समझता रहा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त वाली भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:20:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

से बेदखल करने की धमकी दी यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल मे सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो से भी नही की जा सकेगी। वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का अपने हक हिस्से की भूमि पर वर्षो से कब्जा चला आ रहा हैं प्रार्थी के हक हिस्से में आई भूमि पर प्रार्थी लम्बे समय से काश्त कर रहा हैं इस कारण प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चण्डालिया पटवार हल्का पांचला खुर्द तहसील तिंवरी के खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 111 बीघा 16 बिस्वा बारानी द्वितीय, की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आई हुई हैं जिस बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रार्थी के बंट में आई हुई भूमि में न तो स्वयं दखलंदाजी करे न अन्य से करावें, मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता पेपसिंह भाटी उपस्थित तथा उनकी ओर से वकालात नामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खण्डित करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया बहस पर मनन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि [illegible] कब्जा व काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण [illegible] सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के [illegible] अनुसार प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:20:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 25 रकबा 111 बीघा 16 बिस्वा मौजा ग्राम चण्डालिया पटवार हल्का पांचला खुर्द, तहसील तिंवरी बाबत् उभय पक्षकारान किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण इत्यादि नही करें तथा एक दूसरे के हक हिस्से व कब्जा काश्त में किसी प्रकार दखलंदाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 11/12/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:20:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner